

राजपत्र सं. 610 एर।०-35004/99



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 624] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 10, 2018/भाद्र 9, 1940
No. 624] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 10, 2018/BHADRA 9, 1940

पोत परिवहन मंत्रालय

(पी.एच.आर.डी प्रभाग)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 2018

सा.का.नि. 849(अ).—भारत के राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित दिनांक 15 अक्टूबर, 2013 के पोत परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना जी.एस.आर. 687 (ई) के अंग्रेजी पाठ में निम्न मुद्रित अशुद्धियों का सुधार किया जाता है:—

1. पृष्ठ सं. 262, कॉलम सं. 4 के शीर्षक में शब्द 'classifcation' को शब्द 'classification' द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
2. पृष्ठ सं. 263, कॉलम सं. 11 के अंतर्गत दूसरी एवं पांचवीं पंक्ति में शब्द 'falling' को शब्द 'failing' द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
3. पृष्ठ सं. 264, कॉलम सं. 8 के अंतर्गत नौवीं पंक्ति में शब्द 'Nlne' को शब्द 'Nine' द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
4. पृष्ठ सं. 264, कॉलम सं. 11 के अंतर्गत चौथी एवं दसवीं पंक्ति में शब्द 'falling' को शब्द 'failing' द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
5. पृष्ठ सं. 280, कॉलम सं. 8 के अंतर्गत चौतीसवीं एवं सैंतीसवीं पंक्ति में शब्द 'remotre' एवं 'hyudrolics' को क्रमशः 'remote' एवं 'hydraulic' द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
6. पृष्ठ सं. 282, कॉलम सं. 8 के अंतर्गत बीसवीं एवं तेईसवीं पंक्ति में शब्द 'remotre' एवं 'hyudrolics' को क्रमशः 'remote' एवं 'hydraulic' द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
7. पृष्ठ सं. 285, कॉलम सं. 8 के अंतर्गत इकतीसवीं एवं चौतीसवीं पंक्ति में शब्द 'remotre' एवं 'hyudrolics' को क्रमशः 'remote' एवं 'hydraulic' द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
8. पृष्ठ सं. 330, कॉलम सं. 12 में वरिष्ठ उप प्रबंधक के पद के सापेक्ष शब्द 'P&IR discipline' शब्द 'Finance discipline' द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे।